न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

रघुवीर सिंह बनाम तेज सिंह आदि

किस्म मुकदमा प्र० पत्र 212 का मुद्दा मु.नं. 34 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली वास्ते बहस टी०आई० मिनं 9/9/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	
9/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज मिल कर गई लेकिन न्यायालय समय तक हाजिर नहीं आये। मूल वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। इस मिस्ल इस आवेदन पत्र अ० धारा 212 का मुद्दा प्रार्थी को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 का मुद्दा प्रार्थी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसल शुमार होकर बाद कार्य ताही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मिनं 9/9/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	